राजस्थान सरकार

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर

(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर)

क्रमांक एफ.15 (ग)/पीडी/डीएलबी/NULM/2014/पार्ट 2/8308 दिनांकः 19/5/17

परिपत्र

भारत सरकार द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के जारी मिशन डॉक्यूमेन्ट में बीपीएल सूची–2003 में चयनित परिवारों के अतिरिक्त बीपीएल सूची में सम्मिलित कुल चयनित परिवारों के 25 प्रतिशत तक अन्य परिवारों को DAY-NULM में लाभान्वित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अन्य वर्गो के परिवारो को भी सम्मिलित किये जाने का प्रावधान है। राज्य की बीपीएल सूची–2003 में राज्य के सभी शहरों में चयनित बीपीएल परिवारों को वर्ष 2003 से नियमित रूप से लाभान्वित किया जा रहा है, जिसके कारण अब योजनान्तर्गत लाभान्वित करने हेतु बहुत कम पात्र परिवार उपलब्ध हो रहे है।

इसी कारण विभागीय समसंख्यक परिपत्र क्रमांक 25869 दिनांक 04.12.2014 व आदेश क्रमांक 1921 दिनांक 27.02.2015 द्वारा बीपीएल सूची–2003 में चयनित परिवारो के अतिरिक्त स्टेट बीपीएल सूची, अंत्योदय सूची व आस्था कार्डधारी परिवारों के साथ ही ऐसे शहरी गरीब परिवार जिनकी वार्षिक आय रू. 1 लाख तक है, को DAY-NULM अन्तर्गत लाभान्वित करने के निर्देश जारी किये गये थे। राज्य सरकार द्वारा उक्त शहरी गरीबो के परिवारों की वार्षिक आय की सीमा रूपये 1 लाख से बढाकर रुपये 3 लाख की जाती है, अर्थात ऐसे शहरी गरीब परिवार जिनकी वार्षिक आय रूपये 3 लाख तक है, उन्हे DAY-NULM अन्तर्गत बीपीएल परिवारों की तरह लाभान्वित किया जावेगा।

(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक एफ.15 (ग)/पीडी/डीएलबी/NULM/2014/पार्ट 2/8309-8557 दिनांकः 19/5/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (DAY-NULM), आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
4. प्रबन्ध निदेशक, आर एस एल डी सी, जयपुर
5. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
6. समन्वयक, एस एल बी सी, दुर्गापुरा, जयपुर।
7. निदेशक, सिपेट, जयपुर/क्षेत्रीय प्रबन्धक, एटीडीसी, जयपुर।
8. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
9. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निकाय, समस्त राजस्थान।
10. DMMU, नगर निकाय (जिला मुख्यालय), समस्त राजस्थान।
11. प्रोग्रामर, निदेशालय, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।